Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Railways/Rail Mantralaya
[Railway Board]

S.No.PC-V/121
No.PC-V/97/G/4

RBE No.228/98
dated 7.10.98

The GMs/OSDs/CAOs etc.,
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub : Fixation of pay of RPF/RPSF Staff in the Revised Pay Scales

The pay scales of RPF/RPSF combatised staff were revised vide Board's letter of even number dated 4.12.97 (S.No.PC-V/18) w.e.f. 4.12.97. In this connection, a clarification has been sought by some of the Railways regarding the fixation procedure to be adopted and regulation of date of increment.

2. In this connection, it is stated that the revised pay scales of RPF/RPSF as notified vide Board's letter dated 4.12.97 are effective from 4.12.97, as stated in para 2 of the letter.

3. As the allotment of higher revised scales w.e.f. 4.12.97 does not involve assumption of duties and responsibilities of greater importance, the fixation of pay of such staff would be regulated under FR-23{1317}IREC-Vol.II and FR-22(I)(a)(2) {1313}IREC Vol.II. In other words, the pay of the incumbent is fixed at same stage, if any, in the higher scale and if there is no such stage, at the stage next below in the higher scale, and the difference allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay. In both the cases, the next increment will be drawn on the date of increment in the IV CPC scale or in the V CPC scale allotted w.e.f. 1.1.96 whichever is earlier.

4. Hindi version is enclosed.

(Neera Kumar)
Director Pay Commission
Railway Board
dated 7.10.98

No.PC-V/97/G/4
Copy to :

ADAI (Railways), Mathura Road, New Delhi (with 40 spares)

for **Financial Commissioner**

Copy forwarded to :-

1. The GM N.F. Railway (Const.), CAOs, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2. The FA & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The General Manager and FA & CAO, CORMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad

..2/-

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं0 पी.सी-5/ 18।

आर.बी.ई सं0 228/98

सं0 पी.सी-5/97/जी/4

नयी दिल्ली, दि0 7.8.98

महाप्रबंधक/विशेष कार्याधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आदि.
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- संशोधित वेतनमानों में रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण.

बोर्ड के 4.12.97 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं0 पी सी 5/18) द्वारा रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के सशस्त्र कर्मचारियों के वेतन 4.12.97 से संशोधित किए गये थे. इस संबंध में, वेतन निर्धारण की अपनायी जाने वाली कार्यविधि तथा वेतनवृद्धि की तारीख के विनियमन के संबंध में कुछ रेलों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गये हैं.

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड के 4.12.97 के पत्र द्वारा यथाअधिसूचित रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के संशोधित वेतनमान इस पत्र के पैरा 2 में उल्लेख किए गये अनुसार 4.12.97 से लागू किए गये हैं.

3. चूंकि 4.12.97 से उच्चतर संशोधित वेतनमान के आबंटन में अपेक्षाकृत अधिक महत्व की ड्यूटियां एवं उत्तरदायित्वों की मान्यता अन्तर्निहित नहीं है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण का

...3/-

ए.ए.पी.सी/5/121

आर.बी.ई.सं: 224/
दिनांक : 7-10-98

विनियमन एफ.आर.23 (1317) आई.आर.ई.सी-वाल्यूम-2 तथा एफ.आर 22(1)(क)(2)(1) आई.आर.ई.सी. वाल्यूम-2 के अंतर्गत किया जायेगा. दूसरे शब्दों में, पदधारी का वेतन उच्चतर वेतनमान में उसी स्तर पर, यदि कोई हो तो, तथा यदि ऐसा कोई स्तर न हो तो उच्चतर वेतनमान में ठीक नीचे स्तर पर निर्धारित किया जाए तथा वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमत अन्तर को वेतन में आगामी बढ़ोत्तरी से समाहित किया जाए. दोनों मामलों में, अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.1.96 को आबोटत चौथे केंद्रीय वेतन आयोग तथा पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान में वेतनवृद्धि की तारीख जो भी पहले हो, होगी.

(नीरा खोटिया)
निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड.